न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम वादी में जारी हुए
	..........जयाराम..........बनाम..........मुरारी.......... मु. नं. 146/21 न.इ.	
24.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
146/2021	22.11.2021	24.06.2025

बउनवान

1. जगराम पुत्र चिरंजी, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. प्रभूदयाल पुत्र चिरंजी, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. झूमा देवी पत्नी चिरंजी, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. जलसिंह पुत्र मांग्या, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. मुथरी देवी पत्नी प्रभूदयाल, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. विजयराम पुत्र मांग्या, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. विश्राम पुत्र मांग्या, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. श्रीराम पुत्र मांग्या, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. हरीराम पुत्र चिरंजी, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. मुरारी लाल पुत्र ठण्डीराम, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. बाबूलाल पुत्र खिलारीराम, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. चेतराम पुत्र खिलारीराम, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. देशराज पुत्र हरीराम, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. महेन्द्र पुत्र हरीराम, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 – श्री भुवनेश त्रिवेदी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वावत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा सं. 696 रकवा 0.52 हैक्टे., 697 रकवा 0.31 हैक्टे., 674 रकवा 0.07 हैक्टे. वाके ग्राम ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है जिससे अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि ना तो पूर्व में और ना ही आज ही कभी रास्ते के उपयोग उपभोग की भूमि रही वल्कि उक्त आराजी हमेशा से फसल काश्त की भूमि रही है जिसमें वर्तमान में फसल काश्त प्रार्थीगण द्वारा रखी है जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा लेकिन अव जवरन

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

गैरसायल सं. 1 लगायत 5 उक्त आराजी में सरसब्ज हालात में खडी फसल को नष्ट करने पर आमादा हो रहे हैं तथा उक्त खातेदारी की भूमि में होकर जबरन रास्ता निकालने को आमादा है जिस हेतु उन्होंने दिनांक 28.10.2021 को प्रयास भी किया है जिसका प्रार्थीगण को मालूम चलते ही हमने मौके पर जाकर उक्त कार्य को रूकवा दिया लेकिन उक्त सभी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से राजनैतिक द्वेषता रखते हुए तथा अप्रार्थीगण को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने की वजह से प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि उपरोक्त जिसमें फसल सरसब्ज हालात में खडी है, उसे नष्ट करते हुए उसमें होकर जबरन रास्ता निकालना चाहते है जबकि उन्हें इसका कोई कानूनी अधिकार नही है तथा ये लोग प्रार्थीगण के मना करने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है तथा ये सभी अप्रार्थीगण नाजायज गिरोह बनाकर और गैरकानूनी तत्वों को इकठ्ठा कर नाजायज कार्यवाही करने पर आमादा है। यदि ये लोग अपने मन्सूबे में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के प्रस्तुत किया है। दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाये जाने से उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं है जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं फरमाये जाने से प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी। अतः अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थीगण के कब्जे कारत की विवादित आराजीयात खसरा सं. 696, 697, 674 मे होकर किसी भी प्रकार रास्ता का निर्माण नही करें और ना ही किसी अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करें। प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहने दे तथा उसकी सरसब्ज हालात में खडी फसल में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से ही करावे। मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 22.11.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम इसरीखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 696, 697, 674 के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का रास्ता निर्माण नहीं करें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने दें तथा उनकी सरसब्ज हालात में खडी फसल में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 6 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

4. प्रार्थी सं. 8 श्रीराम् की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बाद भी अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजीयात में मिटटी व खर्स डालकर उसमे रास्ता बनाने की चेष्टा की, इसलिये उक्त मिटटी तथा खर्स को हटवाया जाये। इस प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अप्रार्थीगण का जवाब लिया जाकर विधिवत सुनवाई की गई तथा बहस उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि खसरा सं. 674 में निर्मित सडक का उपयोग सन 1946 से करते चले आ रहे है। मौके पर ग्रेवल सडक पहले से बनी हुई है। कोई फसल सरसब्ज हालत में नहीं खडी हुई है। वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व भी मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। सही तथ्य इस प्रकार है कि आजादी से पूर्व से ही मौके पर सडक बनी हुई है जो आज भी चालू है। मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। गैरसायलान को पाबंद कर दिया तो हजारों लोगों का रास्ता बन्द हो जायेगा। सायलान के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है और ना ही सुविधा का सन्तुलन है क्योंकि मौके पर पूर्व से ही ग्रेवल सडक बनी हुई है। गैरसायलान को पाबंद फरमा दिया गया तो एक हजार लोग जो नया कुआं ढाणी के निवासी है, उनका रास्ता बंद हो जायेगा तथा उनको गांव से पलायन को मजबूर होना पडेगा। प्रार्थी गैरसायलान भू राजस्व नियमों के अन्तर्गत 58, 59, 60 में कार्यवाही करवाने को तैयार है व 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क अदा करने को तैयार है। आजादी से पूर्व से ही खसरा नम्बर 674 व 775 में होकर मौके पर रास्ता है व मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है जो करीब 76 वर्षो से चालू है। नया कुआं ढाणी पर रहने व आने जाने वाले लोगों का एक मात्र रास्ता है जिसे बन्द करने को आमादा है। मुख्य विवाद रास्ते का है। मौके पर रास्ता चालू है। ग्रेवल सडक बनी हुई है जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जसीट व अनुसंधान से साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें निर्मित सडक में काम आ रही है, आराजी की कीमत का भुगतान करने हेतु निवेदन किया जा चुका है। रास्ता बन्द करने के उदेश्य से दावा प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि जबाब स्वीकार फरमाया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व गैरसायलान को सायलान से खर्चा दिलवाया जावे।

6. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि:

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

7. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, ग्राम ईसरीखेडा तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 696, 697, 674 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के खातेदार नहीं हैं। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजीयात में होकर यदि रास्ते का निर्माण किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है और रास्ते के निर्माण से मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्वित रहने की अवधि तक, वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

8. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 696, 697, 674 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.11.2021 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 उक्त विवादित आराजीयात में होकर किसी प्रकार का रास्ता निर्माण नहीं करें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने दें तथा विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •